प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2012-20 की अवधि के लिए **"राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण"** पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। यह निष्पादन लेखापरीक्षा राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध किये जा रहे अपराधों की स्थिति का आकलन करती है और प्रचलित मुद्दों के निराकरण करने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करती है।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।